



पोस्टल बैलेट सुवधा

परीलमिस के लिये

पोस्टल बैलेट सुवधा, भारत नरिवाचन आयोग, स्वीप (SVEEP) कार्यक्रम

मेन्स के लिये

पोस्टल बैलेट सुवधा के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा दिए गये दशा-नरिदेश

चरचा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत नरिवाचन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव संचालन नयिमों में संशोधन करके 'अनुपस्थिति मतदाता' (Absentee Voter) की अवधारणा देते हुए पोस्टल बैलेट सुवधाओं (Postal Ballot Facilities) के संदर्भ में दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

मुख्य बढि:

- भारत नरिवाचन आयोग ने चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और नरिदषिट दवियांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुवधा प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा दिये गए दशा-नरिदेशों तथा मानक परचालन प्रकरियाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- भारत नरिवाचन आयोग 'स्वीप' (Systematic Voter's Education and Electoral Participation- SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को इस नई पहल से अवगत कराने के लिये व्यक्तगित रूप से संपर्क कर रहा है ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाँ।
- पोस्टल बैलेट की सुवधाओं को स्थापित करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचागत सुवधाओं का सृजन करना होगा तथा इसके लिये कानूनी रुपरेखा तैयार करनी होगी।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं या दवियांग मतदाताओं के पास ये वकिल्प होगा कवि नयिमति मतदान के स्थान पर 'अनुपस्थिति मतदाता' के रूप में मतदान कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधन :

- 'अनुपस्थिति मतदाता' की अवधारणा को परभाषित किया और चुनाव प्रकरिया में शामिल किया गया।
- अधनियिम की धारा 60 के अनुसार, 'अनुपस्थिति मतदाता' वे मतदाता हैं जो सरकार द्वारा जारी की गई अधसूचना में उल्लिखित सेवाओं में कार्यरत हैं अथवा वरषिट नागरकि या दवियांग की श्रेणी में आते हैं।
- 'दवियांग' व्यक्तियों से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जनिहें मतदाता सूची में दवियांग के रूप में दर्शाया गया है।
- 'वरषिट नागरकि' से आशय ऐसे मतदाताओं से है जनिकी आयु 80 वर्ष से अधिक है तथा जो 'अनुपस्थिति मतदाता' की श्रेणी में आते हैं।
- 'अनुपस्थिति मतदाता' के रूप में आवेदन करने के लिये फॉर्म 12D भरना होगा और इसका सत्यापन नरिदषिट नोडल अधिकारी द्वारा (वकिलांग तथा वरषिट नागरकि के लिये नहीं) किया जायेगा तथा इसे चुनाव की अधसूचना जारी होने के पाँच दिन के भीतर रटिर्नगि ऑफिसर के पास भेजना होगा।
- 'अनुपस्थिति मतदाता' के मामले में, पोस्टल बैलेट केंद्र को वापस करना होगा ताकानियिम 27 के उप-नियिम 27F के आधार पर मतदान को दर्ज किया जा सके।

पोस्टल बैलेट सुवधा:

जो व्यक्त किसी नरिदषिट सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दवियांग या वरषिट नागरकि होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ हैं। उन लोगों को डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुवधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है।

‘स्वीप’ कार्यक्रम (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation-SVEEP):

- ‘स्वीप’ कार्यक्रम मतदाता जागरूकता तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2009 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है।
- ‘स्वीप’ कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत में चुनाव के दौरान मतदान के योग्य सभी नागरिकों को मतदान के लिये प्रेरित करके बेहतर सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

भारत निर्वाचन आयोग ‘अनुपस्थिति मतदाता’ की सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिये सरल तथा सहज मताधिकार प्रयोग करने की प्रकृति उपलब्ध कराने के लिये प्रतर्बिद्ध है। इस पहल से इस बात की आश्वस्तता बढ़ी है कि विरषिठ नागरिक तथा दवियांग वयक्तभी अपने मताधिकार का सहज रूप से प्रयोग कर सकेंगे।

स्रोत- PIB

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/postal-ballot-facilities>

